संख्या-615/18-4-2025-18-4099/2/2025

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 ***लखनऊ 08 अगस्त,2025***

विषय- **"उत्तर प्रदेश फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025" के प्रख्यापन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल संलग्न "उत्तर प्रदेश फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025" के प्रख्यापन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त नीति में उल्लिखित कार्यो का कार्यान्वयन, आवश्यकतानुसार नियोजन विभाग से परिव्यय प्राप्त कर एवं वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-615(1)/18-4-2025, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-1) सी0ए0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय एवं सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8- आयुक्त स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन उ0प्र0 प्रयागराज।
9- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
10- संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन लखनऊ।
11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को संलग्नक सहित।

निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उ0प्र0 प्रयागराज को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त नीति का प्रख्यापन गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 250 मुद्रित प्रतियॉं शासन को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12- सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-1/2 एवं 3, उ0प्र0 शासन।
13-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश *संख्या*-615/18-4-2025-18-4099/2/2025, *दिनांक* 08-08-2025 *का संलग्नक*

"उत्तर प्रदेश फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025"

1. प्रस्तावना:

1.1. भारतीय और वैश्विक परिदृश्य:

वैश्विक फुटवियर एवं लेदर क्षेत्र में निरंतर विकास एवं वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण उपभोक्ता मांग में वृद्धि, उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रगति और खुदरा बाजारों का विस्तार है। भारत लेदर उत्पादों और फुटवियर के शीर्ष वैश्विक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। यह क्षेत्र विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान के साथ देश की 'मेक इन इंडिया' एवं' आत्म निर्भर भारत' की अवधारणाओं के अनुरूप है। लगभग 3 अरब वर्ग फुट वार्षिक लेदर उपलब्धता के साथ भारत का वैश्विक लेदर उत्पादन में 13% हिस्सा है। साथ ही, देश में विश्व की 20% मवेशी और भैंस की संख्या तथा 11% बकरी और भेड़ भी पाई जाती है, जिससे कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। यह क्षेत्र अत्यधिक श्रमसाध्य है, जो लगभग 44 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें विशेष रूप से लेदर उत्पाद निर्माण गतिविधियों में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 250 करोड़ फुटवियर के वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फुटवियर उत्पादक होने के साथ ही साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत वैश्विक स्तर पर लेदर परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, सैडलेरी और हार्नेस उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और लेदर वस्तुओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत से लेदर, फुटवियर और लेदर उत्पादों का निर्यात प्रमुखता अमेरिका, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड्स में होता है।

1.2. उत्तर प्रदेश का परिदृश्य:

उत्तर प्रदेश भारत के सबसे महत्वपूर्ण फुटवियर एवं लेदर केंद्रों में से एक है, जो घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत के चमड़े के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सा करीब 46% है, जिसके प्रमुख बाजार यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व के देश हैं। आगरा, जिसे 'भारत की फुटवियर राजधानी' के नाम से जाना जाता है, तैयार लेदर फुटवियर का एक प्रमुख निर्यातक है, जबकि कानपुर लेदर फुटवियर एसेसरीज़, सेफ्टी फुटवियर और सैडलेरी में प्रमुख स्थान रखता है। प्रमुख घरेलू ब्रांड और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपनी प्रीमियम फुटवियर कलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश से लेदर प्राप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स प्लेट फॉर्म्स ने बाजार की पहुंच को व्यापक किया है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को देश का व्यापक बाज़ार प्राप्त हुआ है।

1.3. उत्तर प्रदेश की विशिष्टता:

1.3.1. औद्योगिक हब्स (Industrial Hubs)

लेदर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ODOP उत्पाद है और कानपुर, उन्नाव और आगरा में एक फोकस उत्पाद है, जो अपने शिल्प कौशल और वैश्विक निर्यात के लिए जाना जाता है। लेदर और नॉन-लेदर उद्योग विशेष रूप से कानपुर, उन्नाव और आगरा जैसे शहरों में केंद्रित हैं, जो प्रमुख उत्पादन और निर्यात केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। कानपुर लेदर टैनिंग, तैयार लेदर, सुरक्षा फुटवियर और सेडलरी के उपकरण में विशेषज्ञ है, जबकि आगरा वैश्विक स्तर पर फुटवियर निर्माण और निर्यात में अग्रणी है। अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में उन्नाव, बरेली और लखनऊ शामिल हैं, जो लेदर उत्पाद निर्माण, फुटवियर निर्माण और शिल्पकला चमड़े के काम में योगदान करते हैं। राज्य में 200 से अधिक क्रियाशील टेनरी हैं, जिनमें से अधिकतर कानपुर और उन्नाव में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

केंद्रित हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले तैयार चमड़े का उत्पादन करते हैं तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाज़ारों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1.3.2. **कच्चे माल की उपलब्धता:**

उत्तर प्रदेश भारत के कुल कच्चे लेदर उत्पादन का **30%** प्रदान करता है, जो इसे घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनाता है। सरकारी नीतियों और प्रोत्साहनों ने उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋण अनुदान, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र की वृद्धि में योगदान दिया है।

1.3.3. **डेमो ग्राफिक डीवीडेन्ड:**

भारत की जनसंख्या का लगभग पांचवां हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है, जिसमें से 60% लोग वर्किंग ऐज वर्ग में आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस विशाल युवावर्ग के बाजारोन्मुखी कौशल उन्नयन के लिए कृत संकल्प है विशेष रूप से फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर क्षेत्र, जिसमें रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं| लेदर और फुटवियर उद्योग उत्तर प्रदेश में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोटे और मध्यम उद्यमों में लगा हुआ है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.3.4. **शासकीय सहायता एवं नीतियाँ:**

उत्तर प्रदेश सरकार ने फुटवियर एवं लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं| कानपुर में प्रस्तावित मेगा लेदर पार्क उन प्रमुख परियोजनाओं में से एक होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। सतत चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और पर्यावरण अनुपालन उपाय प्रारम्भ किए हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टेनरियों का संचालन पर्यावरण के अनुकूल हो। सरकार प्रदूषण को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों को पूरा करने के लिए प्रमुख चमड़ा केंद्रों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) स्थापित करने पर भी काम कर रही है।

2. नीति का स्वरुप :

इस नीति में सम्पूर्ण फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर मूल्य श्रृंखला (footwearleather and non-leather value chain) के आलोक में विनिर्माण, डिज़ाइन, अनुसंधान एवं विकास, निर्यात और सहायक उद्योग (allied industries) शामिल हैं, जिनको विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है।

(क) फुटवियर निर्माण इकाइयाँ:

1. लेदर फुटवियर निर्माण
2. नॉन-लेदर फुटवियर निर्माण (पीयू, ईवीए, रबर, सिंथेटिक, स्पोर्ट्स, woven footwear)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. सहायक इकाइयाँ: जो विशेष रूप से फुटवियर कंपनियों के लिए बटन, snapfastners, इनलेकार्ड, बकल्स, आईलेट्स, हुक्स, रिवेट्स, sequin, कढ़ाई धागा, पत्थर, toggles, स्टड इलास्टिक कपड़ा, ornaments, embellishments, zips आदि का निर्माण करती हैं
4. नॉन-लेदर प्रसंस्करण इकाइयाँ: जैसे पॉलियुरेथेन लेदर और कॉम्पोनेन्ट निर्माण इकाइयाँ जैसे अपरस्टिचिंग यूनिट, स्टॉक फिटिंग सुविधा, फ्लाईनिट फैक्ट्री, मोल्ड फैक्ट्री, ऑर्नामेंट फैक्ट्री, लेस फैक्ट्री, सोल फैक्ट्री, फुटबेड फैक्ट्री आदि, जो विशेष रूप से फुटवियर निर्माताओं को सप्लाई करती हैं

(ख) लेदर और नॉनलेदर उत्पाद निर्माण इकाइयाँ:

1. लेदर और नॉन लेदर एसेसरीज़ एवं तैयार माल (जैसे हैंडबैग, वॉलेट, पर्स, ट्रैवल गुड्स, दस्ताने, अपहोल्स्ट्री आदि)
2. लेदर परिधान
3. सैडलेरी एवं हार्नेस
4. सहायक इकाइयाँ (जिनमें केमिकल, डाई, ऑयल, एडहेसिव्स, सोल, हील, इनसोल, बकल्स, जिपर्स, आईलेट्स, लेस, एम्बेलिशमेंट, लाइनिंग्स, थ्रेड्स, टैग्स, लेबल्स आदि सम्मिलित हैं)

(ग) फुटवियर लेदर और नॉन लेदर मशीनरी निर्माण इकाइयाँ

- Leather Sewing/ Stitching Machines manufacturer
- Leather cutting, moulding machines manufacturer
- Technical textiles machines manufacturer
- Non-Leather Shoes (Safety shoes) machines and Component Manufacturer

(घ) क्लस्टर एप्रोच (Cluster approach) :

- सहायक इकाइयों और /या फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयों द्वारा समूह निवेश सम्मिलित है

(ङ) अलाइड फुटवियर लेदर औरनॉन लेदर इकाइयाँ:

- जो विभिन्न संसाधन या अनुपालन आवश्यकताओं के कारण क्लस्टर के बाहर स्थित हैं परन्तु आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य भाग हैं

(च) उत्पाद विकास (Product development) केंद्र, अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र:

- फुटवियर एवं लेदर डिज़ाइन स्टूडियोज, लेदर एवं फुटवियर के लिए आर एंड डी केंद्र

3. उद्देश्य:

उत्तर प्रदेश फुटवियर और चर्म विकास नीति का उद्देश्य सुदृढ़, प्रौद्योगिकी- संचालित और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर राज्य को भारत के अग्रणी फुटवियर और लेदर विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नीति के व्यापक उद्देश्यों में निम्न घटक सम्मिलित हैं:-

1. प्रमुख वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से फुटवियर लेदर और नॉन लेदर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना
2. नए निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा लेदर और नॉन लेदर और फुटवियर व्यवसायों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना
3. लेदर उद्योग के तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को सुगम बनाना, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल कार्यबल तैयार करना, जिससे लेदर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हों
5. एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना जो घरेलू एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, दोनों को आकर्षित करे

4. नीति के प्रमुख स्तंभ:

4.1. भूमि की उपलब्धता (लैंड बैंक)

प्रदेश सरकार लेदर और फुटवियर विनिर्माण के लिए एक विकसित स्थान उपलब्ध कराएगी जिसके लिए राज्य उपयुक्त स्थानों पर बड़े भूखंडों को चिन्हित करके लैंड बैंक और समर्पित लेदर पार्क बनाने का प्रयास करेगा, जिसमें प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और सामान्य सेवा केंद्रों सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होगी।

4.2. त्वरित भूमि आवंटन:

प्रदेश में पूर्व से ही एक ऑनलाइन भूमि आवंटन प्रक्रिया संचालित है, जो एक सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से राज्य में उद्योगों की स्थापना को त्वरित गति प्रदान करता है। यह प्रक्रिया फुटवियर एवं लेदर इकाइयों पर भी लागू होगी। मेगा एंकर (Mega Anchor) इकाइयां एवं क्लस्टर को भूमि प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

4.3. फुटवियर एवं उपकरण निर्माण को प्रोत्साहन:

भारत के सबसे बड़े एमएसएमई आधार का लाभ उठाते हुए राज्य सरकार न केवल फुटवियर लेदर और नॉन लेदर उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देगी अपितु उन इकाइयों का भी सहयोग करेगी जो इसके लिए आवश्यक उपकरण/मशीनरी का निर्माण करती हैं।

4.4. कौशल उन्नयन एवं कार्यबल विकास:

1. उद्योग से जुड़े हित धारकों के सहयोग से अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र एवं समसामयिक पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, जिससे स्थानीय कार्यबल की कौशल क्षमता में वृद्धि हो सके
2. स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजित करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा महिला कर्मचारियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी विकास के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
3. शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करते हुए फुटवियर एवं लेदर उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जायेंगे

4.5. आर एंड डी केंद्र, सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस एवं उत्पाद विकास (Product Development) केंद्र:

राज्य सरकार नवाचार को बढ़ावा देने हेतु फुटवियर एवं लेदर डिज़ाइन, automation एवं स्मार्ट विनिर्माण तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी

1. औद्योगिक पार्कों के अन्दर लेदर एवं फुटवियर नवाचार केंद्र एवं उत्पाद विकास) Product Development (केंद्र,नवाचार लैब्स की स्थापना को सहायता प्रदान की जायेगी, जिससे रचनात्मकता एवं तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा मिले।
2. नए आविष्कार एवं उत्पाद विकास(Product Development) केंद्र हेतु पेटेंट एवं बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उत्तर प्रदेश सरकार इस नीति के अंतर्गत फुटवियर लेदर और नॉन लेदर उत्पादों के क्षेत्र में कम से कम दस Centres of Excellence स्थापित करने का प्रयास करेगी।

4.6. **ग्लोबल विजिबिलिटी में वृद्धि:**

1. निर्यात-उन्मुख प्रोत्साहन प्रदान की जायेगी, जिसमें निर्यात हेतु उत्पादों को बंदरगाहों तक परिवहन लागत के लिए अनुदान और वैश्विक व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल है।
2. गुणवत्ता और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। MSME इकाइयों को विपणन एवं ब्रांडिंग के क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाएगी।

4.7. **संधारणीयता (Sustainability):**

सस्टेनेबल विनिर्माण प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जायेगी, जैसेकि गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियां, संयंत्र स्थल पर प्रदूषण नियंत्रण उपाय आदि।

5. वित्तीय प्रोत्साहन:

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और सुविधायें प्रदान की जायेंगी। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए जाएंगे।

5.1. **पात्रता और परिभाषाएँ:**

5.1.1**. प्रभावी तिथि:** नीति की अधिसूचना जारी करने की तिथि

5.1.2 **प्रभावी अवधि**:

प्रभावी तिथि से लेकर उस अवधि तक जिसके लिए यह नीति प्रभावी रहेगी (5 वर्ष) या राज्य सरकार द्वारा किसी संशोधन/निरस्तीकरण की तिथि,जो भी पहले हो।

5.1.3 **पात्र औद्योगिक उपक्रम**:

ऐसा कोई भी औद्योगिक उपक्रम (जो संयुक्त या सार्वजनिक क्षेत्र का न हो, जहाँ सरकार या सरकारी उपक्रम की शेयरपूंजी 50% या अधिक हो) जो किसी कंपनी, साझेदारी (LLP सहित), सोसाइटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी सोसाइटी या निजी उपक्रम के रूप में गठित इकाई के स्वामित्व में हो, जो वस्तुओं के विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, अनुबंध विनिर्माण या जॉबवर्क में कार्यरत है या कार्यरत होने वाली है और जिसे एक नई अथवा विस्तार अथवा विविधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है।

5.1.4 **विस्तारीकरण**

वर्तमान कार्यरत औद्योगिक उपक्रम द्वारा नए पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक में कम से कम 25% की वृद्धि करना विस्तारीकरण की श्रेणी में माना जाएगा।

5.2. निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन

पात्र निजी औद्योगिक पार्क :-

निजी औद्योगिक पार्क का अभिप्राय 25 एकड़ से अधिक में निजी भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्क से है।

पात्र पूंजी निवेश :-

क्षेत्र-विशिष्ट पार्कों सहित निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र कार्य/ गतिविधियों में एक औद्योगिक पार्क में आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित होगीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निम्नलिखित मदों पर व्यय होने वाली लागत को पात्र स्थाई पूंजी निवेश के अन्तर्गत विचरित किया जाएगा-

अवस्थापना सुविधाएं :-

1. औद्योगिक पार्क के लिए सेतु (आरओबी) (केवल 100 एकड़ या अधिक के औद्योगिक पार्क के प्रकरण में लागू)
2. औद्योगिक पार्क के भीतर आंतरिक सड़क
3. औद्योगिक पार्क में स्ट्रीटलाइट
4. वाहरदीवारी
5. वर्षा जल निकासी की सुविधाएं
6. जल वितरण नेटवर्क, जल संवर्धन व संबंधित सुविधाएं
7. सीवरेज नेटवर्क एवं संबंधित सुविधाएं
8. उत्प्रवाह उपचार संयत्र (एफ्लुएट ट्रीटमेंट प्लाट) तथा STP संबंधी अवस्थापना
9. विद्युत/ऊर्जा/गैस वितरण नेटवर्क व संबंधित सुविधाएं
10. संचार नेटवर्क व संबंधित सुविधाएं
11. पार्किंग व ट्रक पार्किंग वे
12. आपदा प्रबंधन योजना, अग्निशमन केन्द्र/ उपकरणों सहित अग्निशमन सुविधाएं।
13. विशिष्ट सुविधाएं/ सेवा प्रदान करने के लिए नवीन निर्माण व उपकरण जिन्हें प्राधिकृत समिति प्रासगिक होने की अनुमन्यता प्रदान करे।

व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सुविधाएं :-

1. होटल/ रेस्तरों/ जलपान गृह
2. चिकित्सालय/औषधालय/ स्वास्थ्य केन्द्र
3. पेट्रोल पंप/ विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन
4. बैंकिंग व वित्त
5. कार्यालय स्थल/ प्रशासनिक कार्यालय
6. सामान्य सुविधाएं, यथा- वेयर हाउसिंग एवं संबंधित सुविधाएं, वेट ब्रिज, कौशल विकास केन्द्र, कम्प्यूटर केन्द्र, उत्पाद विकास केन्द्र, परीक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, पार्क में वाहनों एवं उत्पादन मशीनरी के लिए मरम्मत- कार्यशाला अथवा कोई सामान्य सुविधा केन्द्र (विशेष रूप से पार्क की आवश्यकता हेतु) कोई अन्य भवन जिन्हें प्राधिकृत समिति प्रासंगिक होने की अनुमन्यता प्रदान करें।

अपात्र पूंजी निवेश :-

पात्र स्थायी पूंजी निवेश की गणना करते समय निम्नलिखित मदों की लागत को सम्मिलित नहीं किया जायेगा-

1) भूमि का मूल्य
2) भूमि समतलीकरण हेतु मिट्टी भराई का कार्य
3) ईंधन उपभोग्य पुर्जे व स्टोर
4) कम्प्यूटर व सम्बद्ध कार्यालय फर्नीचर
5) परिवहन वाहन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6) निर्माण स्थापना व कमीशनिंग प्रभार

7) पूर्व में उपभोग की गई मशीनें/पुरानी मशीनें/नवीनीकृत मशीनरी

8) सभी प्रकार के सेवा शुल्क, ढुलाई व माल ढुलाई शुल्क

9) मशीनरी की स्थापना पर व्यय

10) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा व संबंधित उपकरण

5.2.1. निजी औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को निम्नवत लाभ प्रदान किये जायेंगे :

क्रम	घटक	वित्तीय सहायता
1	**पूंजीगत उपादान** 1) 25 एकड़ अथवा इससे अधिक परन्तु 100 एकड़ से कम के निजी औद्योगिक पार्क	पात्र स्थाई पूंजी निवेश का 25% अथवा रु० 45 करोड़, जो भी कम हो
	2) 100 एकड़ अथवा इससे अधिक के निजी औद्योगिक पार्क	पात्र स्थाई पूंजी निवेश का 25% अथवा रु० 80 करोड़, जो भी कम हो
2	**स्टाम्प शुल्क छूट**	विकासकर्ता को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट अनुमन्य होगी

5.2.2. निजी औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम 05 इकाईयाँ होना आवश्यक है तथा इनमें से किसी एक इकाई द्वारा औद्योगिक प्रायोजन हेतु आवंटित भूमि का 80%, से अधिक भूमि उपयोग नहीं किया जाएगा

5.2.3. अनुमन्य पूंजी उपादान का 90%, 04 सामान किश्तों में उपलब्ध कराया जाएगा तथा अवशेष 10%, इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त उपलब्ध कराया जाएगा |

5.2.4. पार्क के कुल क्षेत्रफल का 25% भाग हरित एवं सामान्य अवस्थापना सुविधाओं हेतु आरक्षित होगा |

5.2.5. विकासकर्ताओं के कन्सोर्शियम को अनुमति प्रदान की जा सकेगी |

5.2.6. 25 एकड़ अथवा इससे अधिक तथा 100 एकड़ तक के पार्कों का निर्माण 05 वर्षों में पूर्ण करना होगा |

5.2.7. 100 एकड़ एवं इससे अधिक के पार्कों का निर्माण 06 वर्षों में पूर्ण करना होगा |

5.2.8. ओपन एक्स्सेस के माध्यम से विद्युत् क्रय एवं विद्युत् वितरण लाइसेंस के प्राविधान की अनुमति होगी |

5.2.9. ऐसे औद्योगिक पार्क जो किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण /स्थानीय नगर निकाय /अन्य अधिसूचित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में प्रस्तावित हैं, में औद्योगिक पार्कों के मानचित्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के उपनियमों के अधीन स्वीकृत किये जायेंगे।

5.3. **पूंजी निवेश:**

पूंजी निवेश से तात्पर्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा अपनी परियोजना श्रेणी निर्धारित करने के लिए प्रभावी तिथि के बाद अनुमन्य निवेश अवधि के भीतर अंतिम उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए निम्नलिखित मदों में किए गए निवेश से है–

क्र0 सं0	मद	विवरण
1.	भवन:	परियोजना हेतु निर्मित नया भवन (प्रशासनिक भवन सहित)। इसमें प्लांट एवं मशीनरी,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अनुसंधान एवं विकास, इन-हाउस परीक्षण, भंडारण एवं कर्मचारियों के लिए हॉस्टल/डॉर्मिटरी, कार्यालय एवं प्रशासनिक परिसर से संबंधित भवनों पर हुआ वास्तविक व्यय सम्मिलित होगा। **नोट:**कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 20**%** भवन घटक के रूप में माना जाएगा।
नोट: कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 20% (जिसमें वास्तविक भवन, अन्य निर्माण, संयंत्र और मशीनरी, और इस नीति में परिभाषित बुनियादी ढांचे की कुल लागत सम्मिलित है) को पूंजी निवेश निर्धारित करने के उद्देश्य से भवन घटक के रूप में माना जाएगा।		
2.	अन्य निर्माण:	कंपाउंड दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, जल टैंक, पानी एवं गैस के लिए आंतरिक पाइप लाइन नेटवर्क आदि।
3.	प्लांट एवं मशीनरी:	नया स्वदेशी/आयातित प्लांट एवं मशीनरी; यूटिलिटीज, डाई, मोल्ड, जिग्स, फिटिंग्स एवं अन्य उत्पादन उपकरण; परिवहन, नींव, स्थापना एवं विद्युतीकरण की लागत (जिसमें सब स्टेशन एवं ट्रांसफार्मर की लागत शामिल हो); इसके अतिरिक्त, डीजल जनरेटर सेट्स एवं बॉयलर अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहन, सामग्री परिवहन के उपकरण; **sustainability Investment** – गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन हेतु प्लांट, कैप्टिव पावर उत्पादन/ को जेनरेशन सेटअप (जहाँ उत्पन्न शक्ति का कम से कम 75% स्व-उपयोग के लिए हो); **STP**, पानी शुद्धिकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्लाट।
4.	अवसंरचना सुविधाएँ:	नए मार्ग, सीवर लाइन्स, जल निकासी, बिजली लाइन्स एवं पावर फीडर, रेलवे साइडिंग अवसंरचना, जो उपक्रम के परिसर को मुख्य अवसंरचना से जोड़ती हैं।

5.3.1. **अपात्र पूंजी निवेश**:

कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक और परिचालन-पूर्व व्यय; पूंजीकृत ब्याज; प्रौद्योगिकी / तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन और ड्राइंग; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा अधिकार और ऊर्जा उत्पादन, "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022" में प्लांट और मशीनरी पूंजी शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित कैप्टिव उपयोग को छोड़कर इस नीति में परिभाषित निवेश। पूंजी निवेश की गणना के लिए ऐसे मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.3.2. **सीमा मानदंड** (Threshold Criteria):

प्रोत्साहनों को प्रशासित करने के लिए, निम्नलिखित परियोजना श्रेणियाँ इस नीति के तहत प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगी (तालिका1)। प्रत्येक परियोजना श्रेणी के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी निवेश को संबंधित श्रेणियों के लिए सीमा मानदंड (Threshold Criteria) माना जाएगा।

परियोजना श्रेणी	**निवेश मानदंड**
स्टैंड अलोन फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाई	₹50 से ₹150 करोड़
फुटवियर एवं लेदर मशीनरी निर्माण इकाई	₹50 से ₹150 करोड़
मेगा एंकर इकाई	₹150 करोड़ से अधिक,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्लस्टर*	न्यूनतम निवेश ₹200 करोड़
एलाइड फुटवियर एवं लेदर इकाई*:	न्यूनतम निवेश ₹150 करोड़

*नोट: क्लस्टर परियोजनाएं एवं एलाइड फुटवियर एवं लेदर इकाईयां निम्न प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगी:

(अ) क्लस्टर:

1. संबंधित परियोजनाओं/कंपनियों के समूह का संयुक्त निवेश, जो anchor फुटवियर/लेदर निर्माण इकाई को आपूर्ति करता है।
2. सहायक इकाइयों और / या फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयों द्वारा समूह निवेश सम्मिलित है।
3. समूह में एक मेगा एंकर इकाई होंनी अनिवार्य है।
4. **Anchor** इकाई अपनी आपूर्ति कर्ता इकाई को इस आशय से प्रमाणित करेगी कि आपूर्तिकर्ता इकाई द्वारा एंकर इकाई को आपूर्ति की जा रही है।
   समस्त इकाइयां सन्निहित **(Contiguous)** लैंड पार्सल में होंनी अनिवार्य हैं।
5. **क्लस्टर में न्यूनतम रोजगार की सीमा लागू नहीं होगी।**
6. क्लस्टर में स्थापित इकाईयाँ इस नीति के सभी लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी

(ब)एलाइड इकाई:

1. निर्माण इकाई के वार्षिक टर्नओवर की न्यूनतम 50% आय, फुटवियर/लेदर उत्पाद निर्माण इकाई से होना चाहिए
2. निर्माण इकाई का 5 वर्ष या अधिक का वैध अनुबंध फुटवियर/लेदर उत्पाद निर्माण इकाई के साथ होना अनिवार्य होगा।

5.3.3. **पात्र निवेश अवधि** (Eligible Investment Period):

5.3.3.1. प्रत्येक परियोजना श्रेणी के अंतर्गत, इकाइयों को निवेश पूर्णकर 3 वर्षो के अन्दर व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा। प्रभावी तिथि के बाद एवं नीति की प्रभावी अवधि के अन्दर होनी चाहिए।

5.3.4. **संबंधित इकाई द्वारा सुसंगत वित्तीय एवं प्रशासकीय नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में संगत पर्यावरणीय नियमों / अधिनियमों / ई0 आई0 ए0 अधिसूचना, 2006 (यथासंशोधित) के अंतर्गत वांछित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा पर्यावरणीय नियमों एवं मा0 न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नीतिन्तर्गत औद्यौगिक उपक्रम एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना /संचालन हेतु नियमानुसार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to Establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to Operate) प्राप्त किये जाने के साथ ही औद्योगिक उपक्रम एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के संचालन से पूर्व नियमानुसार अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार प्राधिकार प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।**

5.4. प्रोत्साहन:

5.4.1. भूमि लागत अनुदान:

परियोजना श्रेणी	भूमि लागत अनुदान	
	पश्चिमांचल क्षेत्र	मध्यांचल, पूर्वांचल एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		बुंदेलखंड क्षेत्र
a. स्टैंड अलोन फुटवियर और लेदर उत्पाद विनिर्माण इकाइयाँ b. फुटवियर और चमड़ा मशीनरी विनिर्माण इकाइयाँ	25%	35%
c. मेगा एंकर यूनिट d. क्लस्टर	75%	80%
नोट: 1) भूमि सब्सिडी किसी भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार के किसी अन्य संस्थान या इस नीति के तहत प्रोत्साहित क्लस्टर द्वारा आवंटित भूमि पर लागू होगी। 2) सब्सिडी की गणना राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा आवंटन के समय निर्धारित वास्तविक आवंटन मूल्य के आधार पर की जाएगी, जिसमें स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क सम्मिलित नहीं होंगे। यदि इकाई द्वारा भूमि सब्सिडी का लाभ उठाया जाता है, तो अनुमन्य पूंजीगत सब्सिडी का निर्धारण करने के लिए पात्र पूंजी निवेश में भूमि की लागत पर विचार नहीं किया जाएगा।		

5.4.2 पूंजीगत सब्सिडी:

लेदर उत्पाद और फुटवियर निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार के प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, पूंजी निवेश सब्सिडी भी उपलब्ध कराएगी :

श्रेणी	**पूंजीगत सब्सिडी**	
	पश्चिमांचल क्षेत्र	**मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देल खण्ड क्षेत्र**
1. स्टैंड अलोन फुटवियर और चमड़ा उत्पाद विनिर्माण इकाइयाँ 2. फुटवियर और चमड़ा मशीनरी विनिर्माण इकाइयाँ	• पात्र पूंजी निवेशका 20%, 5 वर्षों में समान किस्तों में, अधिकतम ₹30 करोड़ तक। • वार्षिक सीमा 06 करोड़ (एक वर्ष में एक यूनिट 06 करोड़ से अधिक सब्सिडी नहीं ले सकेगी)	• पात्र पूंजी निवेश का 30%, 5 वर्षों में समान किस्तों में, अधिकतम ₹45 करोड़ तक। • वार्षिक सीमा 09 करोड़ (एक वर्ष में एक यूनिट 09 करोड़ से अधिक सब्सिडी नहीं ले सकेगी)
3. एलाइड लेदर यूनिट:	पात्र पूंजी निवेश का 25%, 5 वर्षों में समान किस्तों में, अधिकतम ₹125 करोड़ तक। (एक वर्ष में एक इकाई रु० 25 करोड़ से अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगी)	
4. मेगा एंकर यूनिट 5. क्लस्टर	पात्र पूंजी निवेश का 30%, 5 वर्षों में समान किस्तों में, अधिकतम ₹600 करोड़ तक। (एक वर्ष में एक इकाई रु० 120 करोड़ से अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगी)	पात्र पूंजी निवेश का 35%, 5 वर्षों में समान किस्तों में, अधिकतम ₹700 करोड़ तक।(एक वर्ष में एक इकाई रु० 140 करोड़ से अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रस्तावित नीतिन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से एक वितीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली पात्र इकाइयों को देय सब्सिडी की सम्भावित धनराशि का परियोजना श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है :-

परियोजना श्रेणी	इकाई की संख्या	नीतिन्तर्गत 01 वर्ष के लिए प्रस्तावित इन्सेटिव आउट फ्लो की धनराशि (करोड़ रू0 में)
स्टैंड अलोन फुटवियर एवं लेदर उत्पाद	05	275
फुटवियर एवं लेदर मशीनरी निर्माण इकाई	05	275
मेगा एंकर इकाई	05	497
क्लस्टर	02	231
एलाइड फुटवियर एवं लेदर इकाई	02	135
कुल योग		1413

5.4.3. स्टाम्प ड्यूटी छूट:

पात्र इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट प्रदान की जायेगी| यह छूट बैंक गारंटी के बदले में दी जाएगी, जिसकी समतुल्य राशि औद्योगिक इकाई द्वारा जमा कराई जाएगी और जो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होते ही मुक्त कर दी जाएगी। **विभाग द्वारा नीति के अंतर्गत तद्नुसार स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि की 100% प्रतिपूर्ति की जायेगी**।

5.4.4. रोजगार सृजन उपादान:

इकाई द्वारा जमा किए गए कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता के योगदान का 100% अनुदान 05 वर्षों हेतु कुल ₹50 करोड़ की सीमा के अधीन रोज़गार सृजन उपादान प्रदान किया जाएगा।

5.4.5. प्रशिक्षण उपादान:

1. उत्तर प्रदेश सरकार एक स्ट्रक्चर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से फुटवियर और लेदर उद्योग में कार्यबल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फुटवियर और लेदर उद्योग से संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रम के सफल समापन पर पाठ्यक्रम शुल्क का 30%, अधिकतम ₹15,000 प्रति प्रशिक्षार्थी की सब्सिडी वितरित की जाएगी और महिलाओं, एससी/एसटी उम्मीदवारों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि ₹20,000 होगी।
3. इकाई-प्रेरित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी बिन्दु (2) की तरह सम्मिलित किया जाएगा, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कार्यक्रम कौशल विकास मिशन और NSDC द्वारा प्रमाणित होंगें।

5.4.6 विद्युत टैरिफ उपादान:

लाइसेंस धारी यूटिलिटी से बिजली क्रय करने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्षों के लिए रु0 2.00 प्रति बिल यूनिट (KWH) की दर से बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा 60 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति यूनिट होगी। अपने स्वयं के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कैप्टिव पावर प्लांट से खपत की गई बिजली या ओपन एक्सेस के माध्यम से क्रय की गई बिजली पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी। **नीति के अंतर्गत विभाग द्वारा पात्र इकाईयों को अनुमन्य विद्युत टैरिफ सब्सिडी की धनराशि की प्रतिपूर्ति सुसंगत नियमानुसार की जायेगी।**

5.4.7 अनुसंधान एवं विकास सहायता:

1. फुटवियर एवं लेदर उद्योग में नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा (आईपी) के महत्व को पहचानते हुए प्रदेश सरकार आईपीआर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। आईपीआर प्रोत्साहन में प्रतिपूर्ति योजना शामिल होगी, जिसमें फुटवियर एवं लेदर क्षेत्र की पात्र इकाइयां पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत (जीआई) के पंजीकरण में होने वाली लागत का 70% प्रतिपूर्ति की हकदार होंगी। इस प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रति इकाई **₹1** करोड़ की सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति की जायेगी।
2. फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए विशेष डिजाइन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन नवाचार प्रयोगशालाओं, फुटवियर प्रोटोटाइपिंग केंद्रों की स्थापना के लिए प्रति इकाई लागत का 50% अनुदान, रु० 01 करोड़ की सीमा के अधीन प्रदान किया जाएगा।
3. निजी कंपनीयां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी संगठन (भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों) या यूजीसी से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को फुटवियर और लेदर क्षेत्र में Centre of Excellence स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति अवधि में अधिकतम 10 ऐसे उत्कृष्टता केंद्र (एक जिले में अधिकतम 01 CoE) को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुदान की मात्रा परियोजना लागत के 50% तक होगी, जिसकी कुल सीमा प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।

5.4.8. ट्रांसपोर्ट एवं लाजिस्टिक्स सब्सिडी-

यदि कोई कंपनी किसी अन्य देश से प्रदेश में अपनी मशीनों को स्थानान्तरित करती है तो इस कार्य पर होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत धनराशि की सब्सिडी दी जाएगी। यह सबसिडी अधिकतम एक कंपनी के लिए 10 करोड़ होगी।

5.4.9. निर्यातोन्मुखी प्रोत्साहन (Export Oriented incentive):

इकाइयाँ उत्तर प्रदेश सरकार की प्रचलित निर्यात नीति के अनुसार प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती हैं।

5.4.10. संपोषणीय (Sustainable) लेदर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन:

लेदर उद्योग में पर्यावरण के प्रति रेस्पोंसिव एवं रेस्पोंसिबल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने संपोषणीय (**Sustainable**) प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कृत संकल्प है।

1. कार्बन क्रेडिट प्रमाणन, ऊर्जा ऑडिट एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणन (RECs) से संबंधित खर्चों पर प्रति इकाई 50% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹50 लाख प्रति इकाई, की जायेगी
2. जैविक विघटन शील टैनिंग एजेंट, जल रहित डाइंग एवं जैव-आधारित विकल्पों को अपनाने पर प्रति इकाई 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹1 करोड़ प्रदान की जायेगी|
3. LEED, ISO 14001, एवं LWG जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण न प्राप्त करने पर प्रति इकाई 75% सब्सिडी, अधिकतम ₹1 करोड़, उपलब्ध कराई जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. वैकल्पिक लेदर (पौधे-आधारित, जैव-निर्मित, यालैब-उत्पन्न) का उत्पादन करने वाली एलाइड लेदर इकाइयाँ, अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी के पात्र होंगी, जो ECI (पात्र पूंजी निवेश) का 5% होगी, अधिकतम प्रति इकाई ₹15 करोड़, 7 समान वार्षिक किस्तों में।

5.4.11 MSME इकाइयों के लिए लाभ:

फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण में कार्यरत MSME इकाइयाँ, यूपी MSME नीति 2022 में परिभाषित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगी, परन्तु समप्रकरणों में वे इस नीति के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन का दावा नहीं कर सकेंगी।

5.4.12 प्रोत्साहनों की कुल सीमा:

इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों की कुल सीमा पात्र पूंजी निवेश के 100% तक सीमित होगी।

नोट: नीति में परिभाषित सभी इकाइयों को भारत सरकार की विभिन्न नीतियों/योजनाओं के तहत प्रोत्साहन लेने की अनुमति होगी, पर राज्य की मौजूदा निर्यात नीति को छोड़कर अन्य राज्य नीतियों के तहत प्रोत्साहनों के साथ डवटेलिंग अनुमन्य नहीं होगी **एवं निवेशक एक प्रकार के लाभ हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की केवल एक नीति के अंतर्गत ही प्रोत्साहन (इंसैटिव) का दावा कर सकेंगे।**

6. नीति क्रियान्वयन:

6.1. यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हो जाएगी और 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।

6.2. एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में पूंजी निवेश के प्रस्तावों हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर नोडल संस्था होगी तथा एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में अनुमन्य पूंजी निवेश से अधिक के निवेश प्रस्तावों हेतु इन्वेस्ट यू0पी0 नोडल संस्था होगी।

6.3. निवेश मित्र एवं ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली से लिंक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा एवं आवेदकों को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी।

6.4. नोडल संस्थाओं में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) स्थापित की जाएगी। इसमें आउटसोर्स्ड सलाहकारों से पर्याप्त स्टाफिंग की जायेगी, जो आवेदनों एवं सिंगल विंडो संचालन का प्रबंधन करेगी। एक नामित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में सिंगल विंडो संचालित की जाएगी। नोडल एजेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, लागत लेखाकार, लेखापरीक्षक आदि को भी व्यक्तियों या फर्मों या एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध कर सकती है।

6.5. नोडल संस्थाओं में मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जो प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करेगीं।

6.6. एम0एस0एम0ई0 इकाईयों के लिए आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में गठित "प्राधिकृत समिति" आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण के अनुमोदन हेतु अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

6.7. प्राधिकृत समिति के माध्यम से प्राप्त निवेश के प्रस्तावों के संबंध में अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित "उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति" सक्षम समिति होगी। यह समिति नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु भी अधिकृत होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6.8. एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के लिए अनुमन्य पूंजी निवेश की सीमा से अधिक के निवेश प्रस्ताव के संबंध में कार्यवाही करने हेतु इन्वेस्ट यू0पी0 सक्षम स्तर होगा। इस संबंध में इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपने स्तर से दिशा-निर्देश जारी किये जायेगें।

6.9. उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति नीति के सम्बन्ध में कोई स्पष्टता या व्याख्या प्रदान करने और नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु सक्षम होगी।

6.10 नीति के किसी प्राविधान में संशोधन, परिमार्जन मा० मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।